SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

(2)

in the Court of कुसुमहर चकवर्ती , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया

Case No......-..... of 2022 Complaint or report made on..................

अपराध कमांक 264/22

Name and address of the Complainant ....

Name, parentage, caste and address of accused

(1) लक्ष्मीबाई पति अजय कुचबंदिया उम्र - 35 साल
नि० कुचबंदिया मोहल्ला - पिपरिया

The offence complainant of, and date of, its alleged commission

आपके विरूद्ध अभियोग है कि दिनांक 28/8/22 को समय 22:01 बजे, स्थान श्मशान के पास कुचबंदिया मो० पिपरिया पर आपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के 05 लीटर महुआ शराब कीमती 500/- रू. रखे हुये थे, जो कि म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत दंडनीय है एवं इस न्यायालय के संज्ञानांतर्गत है।

(कुसुमहर चकवर्ती)
न्या0मजि0प्र0श्रेणी,पिपरिया

The ple of the accused and his examination (if any)-

आरोपी का अभिवाक है कि :-

मुझे जुर्म स्वीकार है।

लक्ष्मी

(कुसुमहर चकवर्ती)
न्या0मजि0प्र0श्रेणी,पिपरिया

The offence proved, if any, and in case under clause,(d) clause (e) clause(f) or clause(g)] of Sub-section (i) of Section 260 the value of the property in respect of which the offecnce has been committed.

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 23/9/22 को घोषित किया गया)

1— आरक्षी केन्द्र स्टे. रोड पिप. के अभियोग पत्र के आधार पर आरोपी के विरूद्ध म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत अभियोग है।

2— आरोपी को उक्त आरोप समरी शीट पर निरचित कर पढकर सुनाये एवं समझाये जाने पर उसने अपराध को स्वैच्छयापूर्वक स्वीकार किया आरोपी के अभिवाक अंकित किये गये। स्वैच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 34(1) म0प्र0 आबकारी अधि. के तहत दोष सिद्ध पाया गया है।

3— अभियुक्त ने सहज रूप से अपराध स्वीकार किया है। उसका यह प्रथम अपराध है। अतः अभियुक्त की दशा और अपराध के स्वभाव को दृष्टिगत रखते हुए धारा 34(1) म0प्र0 आबकारी अधि. तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 600/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।

4— अर्थदंड की राशि की अदायगी के व्यतिकम में अभियुक्त को 10 दिवस के कारावास की सजा पृथक से भुगतायी जाये।

5— प्रकरण में जप्तशुदा 05 लीटर शराब, महुँआ मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

(कुसुमहर चक्रवर्ती)
न्या0मजि0प्र0श्रेणी पिपरिया

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(कुसुमहर चक्रवर्ती)
न्या0मजि0प्र0श्रेणी, पिपरिया